न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

किशनलाल बनाम छोटेलाल

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 60 / 2024

04.03.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा असल प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान हाल खसरा नम्बर 1396 / 0.1500, 1397 / 0.3200, 1398 / 0.1600, 1399 / 0.3500, 1400 / 0.4100, 1403 / 0.8700, 1404 / 0.5400 कुल किता 4 रकबा 2.8000 हैक्टयर किस्म बारानी उत्तम खाता संख्या 478 वाके ग्राम राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण को उनके हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत ना करें। तथा उक्त विवादित आराजी के किसी भाग पर तन्हा कब्जा नही करे, ना किसी दीगर शख्स को रहन बय आदि से मुन्तकिल करे तथा खसरा नम्बर 1403 / 0.8700 में आवासीय प्लान बनाकर कोई प्लाटस कायम नही करे रोड नही बनावे, ना उक्त आराजी के किसी भाग पर कोई निर्माण कार्य करे और ना कोई रहन बय का दस्तावेज अन्य व्यक्ति के पक्ष में तहरीर कर अप्रार्थी संख्या 12 से पंजीकृत करावे। अन्त में विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत असल प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण, असल प्रतिवादीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। अतः असल प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वर्तमान हाल खसरा नम्बर 1396 / 0.1500, 1397 / 0.3200, 1398 / 0.1600, 1399 / 0.3500, 1400 / 0.4100, 1403 / 0.8700, 1404 / 0.5400 कुल किता 4 रकबा 2.8000 हैक्टयर किस्म बारानी उत्तम खाता संख्या 478 वाके ग्राम राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर के किसी भी भाग पर तन्हा कब्जा नही करे। ना ही किसी दीगर शख्स को रहन बय से मुन्तकिल करे तथा खसरा नम्बर 1403 रकबा 0.87 हैक्टयर में आवासीय प्लान बनाकर कोई प्लाटस कायम नही करे, ना नही रोड बनाकर किसी भी भाग पर निर्माण कार्य करे। साथ ही रिकार्ड एवं मौके की यथास्थित बनाये रखें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
26/11/24 ... अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक ...3/1/25... को पेश हो S.D.O. 3/1/25.... अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक ..25/3/25.. को पेश हो S.D.O. 18/6/25 पत्रावली आज एकजाई पेशी से पेश। वकील वादी उप०। वकील वादी ने दावा को नोट प्रेस (NOT PRESS) में खारीज करने का निवेदन किया गया। वकील वादी से सहमति हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर कराये गये। वकील वादी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र/दावा वादी नोट प्रेस (NOT PRESS) में खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा लेख भण्डार हो। उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ जिला-अलवर	Not Press 18/6/25